



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मई, 2024 ई0 (ज्येष्ठ 04, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-21

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	481—482	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	213—216	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	143	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग-2**कार्यालय ज्ञाप****20 मई, 2024 ई0**

संख्या 221/ई-65153/VII-A-2/08(रा0मु0)2010/2024-एतद्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री प्रमोद कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के पद वेतन मेट्रिक्स 123100-215900 लेवल-13 (सादृश्य ग्रेड वेतन 8700) के रिक्त पद के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के पद पर पदोन्नत श्री प्रमोद कुमार सिंह उत्तरांचल [राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री और सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1981] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के भाग छः के नियम-20 (1) के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे।

3- उक्त आदेश लोक सभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन विभाग द्वारा गठित अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 03.05.2024 में की गयी संस्तुति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,
विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मई, 2024 ई० (ज्येष्ठ 04, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 14, 2024

No.215/UHC/Admin.A-2/2024

This Court's earlier issued Notification No. 115/UHC/Admin.A-2/2024 dated April 23, 2024 [regarding transfer and posting of Shri Yogendra Kumar Sagar, Joint Registrar (Judl. & Admin.), Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun as Chief Judicial Magistrate, Chamoli] is hereby withdrawn.

No.216/UHC/Admin.A-2/2024

Shri Yogendra Kumar Sagar, Joint Registrar (Judl. & Admin.), Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun is repatriated, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli vice Ms. Chhavi Bansal.

No.217/UHC/Admin.A-2/2024

Ms. Chhavi Bansal, Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Chamoli vice Shri Sachin Kumar.

Above orders will come into force w.e.f. 15.05.2024.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL**NOTIFICATION***May 15, 2024*

No.218/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned child care leave for 41 days w.e.f. 12.02.2024 to 23.03.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday and Sunday holiday and suffix 24.03.2024 & 25.03.2024 as Sunday and Holi holidays respectively.

NOTIFICATION*May 15, 2024*

No.219/XIV-a-41/Admin.A/2008--Ms. Kahkasha Khan, District & Sessions Judge, Champawat is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 17.02.2024 to 04.03.2024.

NOTIFICATION*May 15, 2024*

No.220/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal Gupta, 1st Additional Chief Judicial Magistrate Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 16.02.2024 to 01.03.2024.

NOTIFICATION*May 15, 2024*

No.221/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 20 days w.e.f. 12.03.2024 to 31.03.2024.

NOTIFICATION*May 15, 2024*

No.222/XIV-a/42/Admin.A/2012--Shri Avinash Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr.Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 16.10.2023 to 25.10.2023 with permission to prefix 14.10.2023 & 15.10.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION*May 15, 2024*

No.223/XIV-a/42/Admin.A/2012--Shri Avinash Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr.Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 22.04.2024 to 01.05.2024 with permission to prefix 21.04.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)**

आदेश

28 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 277/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK07PA1242 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049B0G13484 इंजन न0 11G63157610 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2024 को वाहन संख्या UK07PA1242 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049B0G13484 इंजन न0 11G63157610 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 287/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK07PA1433 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03756 इंजन न0 21B63232441 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.02.2024 को वाहन संख्या UK07PA1433 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03756 इंजन न0 21B63232441 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 288/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK035765 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 95VFJ70076P इंजन न0 SVF95L81167 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री नवीन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी-मकान संख्या 302 नायकखेड़ा टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/02/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.02.2024 को वाहन संख्या UK035765 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 95VFJ70076P इंजन न0 SVF95L81167 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 289/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UP290932 (HGV) मॉडल 2005 चैचिस 90VFJ58405P इंजन न0 B65555SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री संदीप पाल पुत्र श्री सुरेश सिंह पाल निवासी-मकान संख्या 191 मनिहारगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/02/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.02.2024 को वाहन संख्या UP290932 (HGV) मॉडल 2005 चैचिस 90VFJ58405P इंजन न0 B65555SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 291/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK07PA1412 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03550 इंजन न0 21B84042512 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.02.2024 को वाहन संख्या UK07PA1412 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03550 इंजन न0 21B84042512 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मई, 2024 ई0 (ज्येष्ठ 04, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम राज से बदलकर राजकमल चौधरी कर लिया है, भविष्य में मेरे पुत्र को राजकमल चौधरी पुत्र श्री राजू के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजू निवासी म.नं. 13/सी गली नं. 02
विश्वकर्मा कालोनी भण्डारी बाग देहरादून
(उत्तराखण्ड)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/253-भाग 8-2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।